



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226325  
CG-DL-E-01042021-226325

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1326]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1433(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	धाराएं
1.	धारा 4 के खंड (v) और खंड (vi);
2.	धारा 5 का खंड (iv);
3.	धारा 7 का खंड (ii);
4.	धारा 11;
5.	धारा 12;
6.	धारा 13;
7.	धारा 15;

8.	धारा 17 के खंड (i) खंड (iii) खंड (iv) खंड (v) और खंड (vi);
9.	धारा 18;
10.	धारा 19;
11.	धारा 21 के खंड (i) खंड (iii) खंड (iv);
12.	धारा 23;
13.	धारा 25;
14.	धारा 26;
15.	धारा 28 का खंड (ii);
16.	धारा 76;
17.	धारा 77 के खंड (क) और खंड (ख) का उपखंड (ii);

[फा. सं. आरटी-11036/60/2019-एमवीएल] (भाग -1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2021

**S.O. 1433(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely: —

Sl. No.	Sections
1.	clause (v) and (vi) of section 4;
2.	clause (iv) of section 5;
3.	clause (ii) of section 7;
4.	section 11;
5.	section 12;
6.	section 13;
7.	section 15;
8.	clause (i), (iii), (iv), (v) and (vi) of section 17;
9.	section 18 ;
10.	section 19;
11.	clause (i), (iii) and (iv) of section 21;
12.	section 23 ;
13.	section 25;

14.	section 26;
15.	clause (ii) of section 28;
16.	section 76;
17.	clause (A) and clause (B) (ii) of section 77;

[F. No. RT-11036/60/2019-MVL] (Part-1)

AMIT VARADAN, Jt. Secy.